रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 970] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2015/वैशाख 18, 1937
No. 970] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2015/VAISAKHA 18, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

का.आ. 1244(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 275(अ) तारीख 24 जनवरीं, 2014, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 28 जनवरीं, 2014, में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पंजाब राज्य में बठिंडा से जम्मू (जम्मू कष्मीर) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड़ (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16.02.2015 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेष देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड़ (जीआइजीएल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड़ (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : दसुहा (टांडा)			जिला : हुशिआरपुर	राज्य : पंजाब		
क्रम सं.	ग्राम का नाम		सर्वे नं./ब्लाक नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3		4	5	6
1	बघि आडी		21//14	00	00	40
	(अेच.बी.नं. 7)		21//15/1	00	00	40
			20//16/1	00	06	60
			28//2/1	00	12	80
2	गनीपुर बॅधन		7//7/3	00	09	28
	(अेच.बी.नं. 8)		7//6/2	00	00	40
			7//15/2	00	01	00
			5//11	00	00	40
4	धमीआं खुर्द		गाव सरहद धमीआं खुर्द ओर खसरा नं. 17//5/2 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	40
	(अेच.बी.नं. 103)		17//5/2	00	00	40
तहसील : हुशिआरपुर			जिला : हुशिआरपुर	राज्य : पंजाब		
1	नुरपुर उॅफ बाकीपुर		9//2/2	00	06	50
	(अेच.बी.नं. 101)					
2	धुॅगा खुर्द		6//3/1	00	00	50
	(अेच.बी.नं. 102)		29 (सरकारी नाला)	00	04	26
			6//4/2	00	00	52
			7//2/1	00	13	02
3	शरहाला		खसरा नं. 223 ओर 338 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	97
	(अेच.बी.नं. 104)		318	00	00	83
			464 मीन	00	02	40
			464 मीन	00	02	39
			989//1/3	00	00	72
4	कोटली बावा दास		820/762	00	00	40
	(अेच.बी.नं. 113)		1083/819	00	07	08
			1084/821	00	03	37
			खसरा नं. 1084/821 ओर 1102/854 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	15
			1079/818	00	01	15
			855/762	00	03	25
			1102/854	00	28	67
			1099/852	00	10	65
			1107/859	00	07	89
			1109/860	00	04	60
			1111/862	00	07	95
			खसरा नं. 1111/862 ओर 1122/ 1062 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	20
			1122/1062	00	09	00
			1126/885	00	11	01
			1132/887	00	03	89
			1135/888	00	09	54
			1121/876	00	10	45
5	खडिआला सैणीआं		41//10/1	00	04	18
	(अेच.बी.नं. 107)		30//21/2	00	00	40
			30//19/1	00	01	85
			26//19/6/2	00	03	96
			26//19/6/1	00	02	39
			26//19/2	00	00	67

			26//19/5	00	00	40
6	बुलोवाल		6//19	00	02	30
	(अेच.बी.नं. 110)		6//18/1	00	04	00
			6//17/2	00	01	39
			6//17/1	00	04	42
			खसरा नं. 6//17/1 और 6// 16/1 के बीच में (सरकारी फुटपाथ)	00	01	04
			6//16/1	00	05	96
			5//20	00	00	50
			5//14/2	00	00	40
7	मिरजापुर		खसरा नं. 28 और 26 के बीच में (सरकारी फुटपाथ)	00	01	15
	(अेच.बी.नं. 144)		473/28	00	10	58
			474/28			

[फा. नं. एल—14014/21/2013—जीपी]

श्रीप्रकाष अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2015

S.O. 1244(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 275(E) dated the 24th January, 2014, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 28th January, 2014, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Punjab for transportation of Natural Gas from Bhatinda(Punjab) to Jammu (J&K) by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 16.02.2015 ;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMTED (GIGL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL: DASUHA (TANDA)		DISTRICT : HOSHIARPUR	STATE : PUNJAB		
Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	BAGHIARI	21//14	00	00	40
	(H.B. No. 7)	21//15/1	00	00	40
		20//16/1	00	06	60
		28//2/1	00	12	80
2	GANIPUR BADHAN	7//7/3	00	09	28
	(H.B. No. 8)	7//6/2	00	00	40
		7//15/2	00	01	00
		5//11	00	00	40
3	DHAMIAN KURD	V.B. Dhamian Khurd & In Khasra No. 17//5/2 (Cart Track)	00	00	40
	(H.B. No. 103)	17//5/2	00	00	40
TEHSIL: HOSHIARPUR		DISTRICT : HOSHIARPUR	STATE : PUNJAB		
1	NURPUR URF BAKIPUR	9//2/2	00	06	50
	(H.B. No. 101)				
2	DHUGGA KHURD	6//3/1	00	00	50
	(H.B. No. 102)	29 (G/L Nala)	00	04	26
		6//4/2	00	00	52
		7//2/1	00	13	02
3	SARHALA	In Bet Khasra No. 223 & 338 (G/L Cart Track)	00	00	97
	(H.B. No. 104)	318	00	00	83
		464 Min	00	02	40
		464 Min	00	02	39
		989/1/3	00	00	72
4	KOTLI BAWA DAS	820/762	00	00	40
	(H.B. No. 113)	1083/819	00	07	08
		1084/821	00	03	37
		In Bet Khasra No. 1084/821 & 1102/854 (G/L Cart Track)	00	01	15
		1079/818	00	01	15
		855/762	00	03	25
		1102/854	00	28	67
		1099/852	00	10	65
		1107/859	00	07	89
		1109/860	00	04	60
		1111/862	00	07	95
		In Bet Khasra No. 1111/862 & 1122/1062 (G/L Cart Track)	00	01	20
		1122/1062	00	09	00
		1126/885	00	11	01
		1132/887	00	03	89
		1135/888	00	09	54
		1121/876	00	10	45
5	KHADIALA SAINIA	41//10/1	00	04	18

	(H.B. No. 107)		30//21/2	00	00	40
			30//19/1	00	01	85
			26//19/6/2	00	03	96
			26//19/6/1	00	02	39
			26//19/2	00	00	67
			26//19/5	00	00	40
6	BULLOWAL		6//19	00	02	30
	(H.B. No. 110)		6//18/1	00	04	00
			6//17/2	00	01	39
			6//17/1	00	04	42
			In Bet Khasra No. 6//17/1 & 6//16/1 (Foot Path)	00	01	04
			6//16/1	00	05	96
			5//20	00	00	50
			5//14/2	00	00	40
7	MIRZAPUR		In Bet Khasra No.28 & 26(G/L Foot Path)	00	01	15
	(H.B. No. 144)		473/28	00	10	58
			474/28			

[F. No. L-14014/21/2013-GP]

S.P. AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.